संख्या-108/2025/301 के-2/22-3-2024-17(1324)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकिशोर उर्फ तोताराम पुत्र श्री बिहारीलाल, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0)कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023) दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकिशोर उर्फ तोताराम पुत्र श्री बिहारीलाल, जो ग्राम-पलिया सरौता, थाना-उझानी, जनपद-बदायूँ का निवासी है। रूपये आठ लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 08.10.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुरजीत उम्र 06 वर्ष व सौरभ उम्र 12 वर्ष नामक 02 बच्चों का अपहरण कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-168/2008 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा० विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ के आदेश दिनांक 10.02.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त बंदी को सत्र परीक्षण सं0-113/2016 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-01, एटा के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया एवं सत्र परीक्षण सं0-362/2013 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश-07, एटा द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.02.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष 04 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 04 माह, 05 दिन की सजा पूरी की गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में तथा बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होना बताया गया है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने रूपये आठ लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 08.10.2008 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुरजीत उम्र 06 वर्ष व सौरभ उम्र 12 वर्ष नामक 02 बच्चों का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं पूर्व आपराधिक इतिहास होने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामकिशोर उर्फ तोताराम पुत्र श्री बिहारीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकिशोर उर्फ तोताराम (बंदी संख्या-49133) पुत्र श्री बिहारीलाल, निवासी जनपद-बदायूँ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-108/2025/301 के-2/22-3-2024-17(1324)/2023

दिनांक 11 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामकिशोर उर्फ तोताराम पुत्र श्री बिहारीलाल, जो ग्राम-पलिया सरौता, थाना-उझानी, जनपद-बदायूँ का निवासी है। रूपये आठ लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 08.10.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुरजीत उम्र 06 वर्ष व सौरभ उम्र 12 वर्ष नामक 02 बच्चों का अपहरण कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-168/2008 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा० विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ के आदेश दिनांक 10.02.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया उक्त के अतिरिक्त बंदी को सत्र परीक्षण सं0-113/2016 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-01, एटा के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया एवं सत्र परीक्षण सं0-362/2013 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश-07, एटा द्वारा 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.02.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष 04 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 04 माह, 05 दिन की सजा पूरी की गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने तथा बंदी के पारिवारिक सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी के समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होना बताया गया है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने रूपये आठ लाख की फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 08.10.2008 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुरजीत उम्र 06 वर्ष व सौरभ उम्र 12 वर्ष नामक 02 बच्चों का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं पूर्व आपराधिक इतिहास होने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामकिशोर उर्फ तोताराम पुत्र श्री बिहारीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।